आर्डर शीट

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 33/2026 अनवान ***भैरूसिंह माली व अन्य बनाम स्व0 सज्जनसिंह के कायम मुकाम वगैरा***

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.05.26	पत्रावली वकील अपीलांट श्री अनिल राठी द्वारा दिनांक 08.04.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सपठित धारा 151 सीपीसी के कम में तलब की गई थी। रेस्पो0सं0 1/1 से 1/4 की ओर से श्री महेश्वर वैष्णव ने दिनांक 08.04.2026 को जवाब अपील के साथ अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया, जो शामिल पत्रावली है। अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर द्वारा राजस्व अपील सं0 164/2025 (2025/437) बअनवान सज्जनसिंह के कायम मुकामान शक्तिसिंह वगैराह बनाम शेरसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 23.09.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने रेस्पो0सं0 1 से 4 यानि स्व0 सज्जनसिंह के उत्तराधिकारियों की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार कर तहसील जोधपुर स्थित ग्राम चैनपुरा के ना0क0 सं0 192 दिनांक 31.03.1996 को अपास्त कर खसरा नम्बर 389 व 389/1 के संबंध में आदेश पारित किया गया।	

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

मौजूदा अपील में अपीलांट द्वारा की गई प्रार्थना को रेस्पो0सं0 1 से 4 स्वीकार करते है एवं उक्त ना0क0सं0 192 दिनांक 31.03.1996 के संबंध में अब किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। अपीलांट द्वारा मौजूदा अपील में लिए गये आधार पूर्णतया सही है और उसके आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2025 को अपास्त किया जाता है, तो वह रेस्पो0सं0 1 से 4 को स्वीकार है। इस संबंध में रेस्पो0सं0 1 से 4 के मध्य आपसी सहमति/रजामंदी का एक इकरारानामा भी अलग से निष्पादित हो चुका है। जिससे उक्त ना0क0 को लेकर अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 1 से 4 के मध्य किसी तरह का विवाद नही है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत होगा। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर, अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2025 को अपास्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 से 4 के योग्य अधिवक्ता द्वारा जवाब अपील में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन जैर नामान्तरकरण को लेकर अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 1 से 4 के मध्य अब किसी तरह का कोई विवाद नही है। अपीलांट द्वारा मौजूदा अपील में लिए गये आधार पूर्णतया सही है, उसके आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2025 को अपास्त किया जाता है, तो वह रेस्पो0सं0 1 से 4 को स्वीकार है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2025 को अपास्त फरमाने का आग्रह किया गया।

प्रकट तथ्यों एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा लिखित

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अभिकथनों के आधार पर वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर द्वारा राजस्व अपील सं0 164/2025 (2025/437) बअनवान सज्जनसिंह के कायम मुकामान शक्तिसिंह वगैराह बनाम शेरसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 29.09.2015 अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 1-5-26 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय की सत्यप्रति से सूचित किया जावे।

1/5/26

(सुनिता चौधरी)

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अतिरिक्त जोधपुरीय आयुक्त

जोधपुर